

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 459] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 28, 1970/पौष 7, 1892

No. 459] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 28, 1970/PAUSA 7, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जावी है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December 1970

S.O. 4095.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Rohtak Krishna Trading Company Private Ltd., Rohtak, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act recognition to the said association for a period of three years from the 28th December, 1970 to the 27th December, 1973 (both days inclusive) in respect of forward contracts in gur.

The recognition hereby granted is subject to the condition that the said associations shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[No. F. 12(4)-I.T/70.]

R. K. TALWAR, Jt. Secy.

(1997)

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1970

का० आ० 4095.—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन रोहतक कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, रोहतक द्वारा मान्यता के लिए किये गये आवेदनों पर, बायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संगम को गुड़ में अग्रिम संविदाओं के बारे में, 28 दिसम्बर, 1970 से लेकर 27 दिसम्बर, 1973 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की तीन वर्ष की कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त संगम ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे जो बायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[सं० 12 (4)-आई० टी०/70]

आर० के० तलवार, संयुक्त सचिव।